भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याय 3828

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

निजी क्षेत्र की भागीदारी से गोदामों का निर्माण

3828. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ढके हुए भण्डा रगृहों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ गोदामों के निर्माण के लिए एक गारंटी योजना लाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौ रा क्या ;हैऔर

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार उक्त कार्यक्रम से ही ढके हुए भण्डा ेरगृहों की कमी को पूरा करने में सक्षम थी और यदि हां, तो तत्सं बंधी ब्यौ ैरा क्या? है

उत्तदर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यक मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): कुल 741.41 लाख टन के स्टॉक (दिनांक 01.06.2019 की स्थिति के अनुसार) की तुलना में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराए की क्षमता, दोनों) 862.45 लाख टन (दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार) है, जिसमें 739.76 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम तथा कवर एंड प्लिंथ (कैप) भंडारण की 122.69 लाख टन क्षमता शामिल है। इस प्रकार, केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

तथापि, सरकार, विशिष्टं क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर तथा भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए देश में खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए निजी सहभागिता से गोदामों तथा साइलो के निर्माण हेतु निम्नेलिखित स्की में कार्यान्वॉत कर रही :है

i. **निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत, जो वर्ष 2008 में तैयार की गई थी, भंडारण क्षमता का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए निजी पार्टियों , केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दिनांक 31.05.2019 की स्थिवति के अनुसार 142.62 लाख टन क्षमता का निर्माण किया गया है। इस स्कीपम के अंतर्गत सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए कोई निधि जारी नहीं की जाती है तथा पूरा निवेश निजी पार्टियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्ये एजेंसियों द्वारा किया जाता है। गोदाम के निर्माण तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसके अधिग्रहण के पश्चानत निवेशक को 9/10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के लिए भंडारण प्रभारों का भुगतान किया जाता है, चाहे इसमें भंडारण में रखे खाद्यान्नों ं की मात्रा कितनी भी हो।

ii. **स्टीतल साइलो का निर्माण:**पारम्परिक गोदामों के अलावा, भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भंडारण में रखे खाद्यान्नों के जीवन काल (शेल्फ लाइफ) में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने देश में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से 100 लाख टन क्षमता के स्टील साइलो के निर्माण हेतु एक कार्य योजना भी अनुमोदित की है। इसमें से दिनांक 31.05.2019 की स्थिसति के अनुसार 6.75 लाख टन क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया गया है। नॉन-वाएबिलिटी गैप फंडिंग (नॉन-वीजीएफ) मॉडल के तहत निर्माण किए गए साइलो के लिए रियायत अवधि 32 वर्ष है , जबकि वाएबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल के लिए यह गेहूं साइलो हेतु 30 वर्ष और मिश्रित साइलो (गेहूं और चावल) हेतु 31.5 वर्ष है।

******